न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

1. अपील संख्याः 8/2025 निर्णय दिनांकः– 30-01-26
(जीसीएमएस संख्या 2025/14)

1. गोदावरी देवी पत्नी किशनलाल जाट जाति जाट निवासी दंतोर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. मलकीत सिंह पुत्र उजागर सिंह जाति जटसिख निवासी 15 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर हाल आबाद 14 एपीडी (ए) कमरानिया तहसील व जिला अनूपगढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 20–06–2022
उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला

उपस्थितः–

1. श्री सतूखान पड़िहार, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री प्रहलाद जाखड, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के निर्णय दिनांक 20–06–2022 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीक से खिलाफ कानून दावा डिक्री किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कानूनी प्रकिया का पालन नही किया है केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की गर्ज से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय व अपीलांट को बिना सूने पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05–08–2021 को गोदावरी देवी को रजिस्टर्ड नोटिस भेजना बताया गया है जो गलत है उक्त तामील बनावटी व फर्जी है। अपीलांट को कभी कोई तामील नही हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24–09–2021 को एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए एक्स पार्टी आदेश जारी किये गये जो न्याय संगत नही है।

वादग्रस्त भूमि चक 9 पी.आर.एम. तहसील खाजूवाला के मुरब्बा नम्बर 36/26 के किला नम्बर 18/2 में 0.1012 है., किला नम्बर 19/2 में 0.0632 है. किला नम्बर 20/4 में 0.0126 है. किला नम्बर 21/2 में 0. 2276 है. किला नम्बर 22 में 0.2529 है. भूमि पर कब्जा रेस्पोडेन्ट का है। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त कृषि भूमि पर कभी काश्त नही की है तथा ना ही सीमाज्ञान करवाया है। भूमि के नाप तोल, पत्थर गढ़ी नही होने के कारण केवल भ्रम पैदा कर अपीलांट की भूमि मुरब्बा नम्बर 36/27 के किला नम्बर 1 के स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि मुरब्बा नम्बर 36/26 के किला नम्बर 21 पर अपना दावा कर रहा है। जबकि उक्त कृषि भूमि पर अपीलाट का आज दिन तक कब्जा काश्त है। अपीलांट्स के मुरब्बा नम्बर 36/27 के किला नम्बर 1,10,11,20,21 में कटानशुदा सरकार रास्ता है अपीलांटस कटानशुदा रास्ते का उपयोग करता है। अपीलाट के मुरब्बा नम्बर 36/27 के किला नम्बर 1 में फेक्ट्री के लिए विधुत ट्रांसफार्मर राजस्थान सरकार के बिजली विभाग द्वारा अपीलाटस के खेत मे लगाया है तथा चारा आदि अपीलाट्स अपने खेत की सीमा में ही रखता है और रख रहा है और अपने खेत में आने जाने के लिए कटानशुदा रास्ते का उपयोग करता है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा पेश किया है। अपीलाट्स के चिपती रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मुरब्बा किला नम्बर 21 व 22 की भूमि पर कभी भी अपीलाट

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

का कब्जा नही रहा है। जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अधीनस्थ न्यायालय से किसी प्रकार की रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई लॉकस स्टेण्डाई नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कथन किये है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलांट की उक्त भूमि के किला नम्बर 21 में विद्युत ट्रांसफार्मर लगा रखा है जबकि कोई भी व्यक्ति विद्युत कनेक्शन और विद्युत ट्रांसफार्मर खुद नही लगा सकता है। बिजली विभाग के नियमानुसार केवल मात्र आवेदक अपनी भूमि पर ही विद्युत कनेक्शन और विद्युत ट्रांसफार्मर लगवा सकता है। विद्युत विभाग द्वारा मालिकाना दस्तावेज देखकर तथा डिमाण्ड राशि का नोटिस जारी करने के बाद ही उच्च स्तर के अधिकारियों की देखरेख में ही विद्युत विभाग ट्रासफार्मर लगाता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य बयान किये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, खाजूवाला से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जो कि मौका स्थिति से मिलान ही नही खाती है। तहसीलदार, खाजूवाला द्वारा रिपोर्ट कर पाना संभव नही था केवल मात्र तहसील कार्यालय में बैठकर रिपोर्ट तैयार की गई है जो कि सही नही थी। उक्त रिपोर्ट अपीलाट को न्याय से वंचित करने के उदेश्य से बनाई गई थी। तहसीलदार रिपोर्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को भ्रमित किया गया इस रिपोर्ट के अधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड़ अधिकारी, खाजूवाला दिनांक 20–06–2022 निरस्त किया जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट दिनांक 06–012–2024 को अपनी भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रही थी तभी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कुछ अजनबी व्यक्तियों के साथ मौके पर आया तथा जैर अपील कृषि भूमि की और इशारा करते हुए बताने लगा तब अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट से पूछा तुम कौन हो तब रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि जहॉ आपने ट्रासफार्मर लगा रखा है वह भूमि मेरी है मैने विद्युत ट्रांसफार्मर हटाने के आदेश न्यायालय से प्राप्त कर लिये है। उक्त भूमि विकय कर रहा हूँ। और तुम्हे तुम्हारे कब्जे की भूमि से जबरिया बेदखल कर दूंगा। जिस पर अपीलांट द्वारा दिनांक 06–12–2024 को जैर अपील कृषि भूमि के संबंध में चाराजोई अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की गई तो जानकारी हुई कि रेस्पो. संख्या 1 द्वारा अपीलांट की कब्जे काश्त की भूमि के संबंध में एकतरफा अपीलाधीन आदेश

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

20–06–2022 पारित करवा लिया है। जिस पर अपीलांट द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली की नकल के लिए आवेदन किया तथा अपीलांट को दिनांक 10–12–2024 का अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त हो सकी। उक्त जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। इसलिए अपीलांट का मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे।

4. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि चक 9 पी.आर.एम. के मुरब्बा नम्बर 36/26 के किला नम्बर 18/2 में 0.1012 हैक्टर, 19/2 में 0.0632 हैक्टर, 20/4 में 0.0126 हैक्टर 21/2 में 0.2276 हैक्टर 22 में 0.2529 हैक्टर कुल 0.6575 हैक्टर भूमि स्थित है। अपीलांट की भूमि चक 9 पी.आर.एम के मुरब्बा नम्बर 36/27 के किला नम्बर 1,4 ता 7, 10,11,15,16,21, 25 में कुल 2.9083 हैक्टर स्थित है। अपीलांट द्वारा मुरब्बा नम्बर 36/27 के किला नमबर 1 में जिप्सम की फैक्ट्री लगी है। अपीलांट द्वारा रेस्पो. की गैर मौजूदगी में रेस्पो की भूमि के किला नम्बर 21 में स्वीकृत रास्ते के अलावा अलग से किला नम्बर 21 में किला नम्बर 22 के चिपते जिप्सम फैक्टी में आने जाने हेतु रास्ता बनवा लिया है व किला नम्बर 21 में फैक्ट्री का विद्युत ट्रांसफार्मर लगवा लिया है। इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलांट के इस कृत्य के विद्युत एक दावा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायाल द्वारा तहसील से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। उक्त मौका रिपोर्ट में भी यह माना है कि अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि पर ट्रासफार्मर लगाकर अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. संख्या 1 के वाद को स्वीकार करते हुए अपीलांट को आदेश प्रदान किये कि वे रेस्पो. के किला नम्बर 21 में स्वीकृत रास्ते के अलावा नाजायज बनाये गये रास्ते का उपयोग नही करे। रेस्पोडेन्ट की भूमि के किला नम्बर 21 में बने ट्रासफार्मर को हटा लेवे। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश न्याय संगत है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अपीलांट द्वारा केवल मात्र रेस्पो. संख्या 1 को तंग व परेशान करने की गर्ज से यह अपील पेश की है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ने आगे कथन किया कि अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट् द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है वे बेबुनियाद व मनगढ़त है जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलांट् की अपील गुणावगुण के साथ–साथ मियांद के बिन्दु पर भी खारिज फरमाई जावे।

5. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–06–2022 के विरूद्व अपील दिनांक 24–12–2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट् का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा आक्षेपित आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है एवं अपीलांट् द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कथन है कि अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील मियांद बाहर होने से मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि प्रकरण में सभी पक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित आ चुके है तथा विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त रहा है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो, वहॉ मियांद के बिन्दु अर्थात मियांद में अत्याधिक विलम्ब न होने की स्थिति में न्यायालय को मियांद बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। न्यायालय का यह भी मत है कि चूंकि पक्षकारान् ग्रामीण परिवेश के काश्तकार व्यक्ति होते है, जिन्हें न्यायालय के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लिहाजा प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलांट्स की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट द्वारा वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि में अपनी फैक्ट्र हेतु अवैध ट्रांसफार्मर लगवा लिया है। तथा आने जाने हेतु अपनी सुविधा अनुसार रास्ता कायम कर लिया है। इसलिए अपीलांट/प्रतिवादी को पाबंद किया जावे कि वह वादी/रेस्पोडेन्ट की भूमि मे से ट्रासफार्मर हटवा लेवे तथा पूर्व में स्वीकृत सरकारी रास्ते के अलावा अन्य रास्ते का भोग उपयोग नही करे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला से वादग्रस्त भूमि की मौका रिपोर्ट मंगवाई गई तथा मौका रिपोर्ट के आलोक में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–06–2022 पारित किया जिससे व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा यह हस्तगत अपील पेश की है।

इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादी/रेस्पोडेन्ट की भूमि चक 9 पी.आर.एम. के मुरब्बा नम्बर 36/26 के किला नम्बर 18/2 में 0.1012 हैक्टर, 19/2 में 0.0632 हैक्टर, 20/4 में 0.0126 हैक्टर 21/2 में 0.2276 हैक्टर 22 में 0.2529 हैक्टर कुल 0.6575 हैक्टर भूमि स्थित है। तथा अपीलांट की भूमि चक 9 पी.आर.एम के मुरब्बा नम्बर 36/27 के किला नम्बर 1,4 ता 7, 10,11,15,16,21, 25 में कुल 2.9083 हैक्टर स्थित है।

प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार, खाजूवाला द्वारा दो बार मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसमें प्रथम मौका रिपोर्ट कमाक एसडीओ/खाजू/रीडर/2021/1034 दिनांक 16–12–2021 व द्वितीय मौका रिपार्ट कमांक कोर्ट/2022/249 दिनांक 14–03–2022 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि चक 9 पी.आर.एम. के मुरब्बा नम्बर 36/26 के किला नम्बर 21/2 में मुरब्बा नम्बर 36/27 कि. न. 1 के द्वारा 7 8 फीट में विद्युत ट्रासफार्मर व उसका कन्ट्रोलर बनाकर कब्जा किया हुआ है तथा भारत माला सड़क से नक्शा अनुसार मुरब्बा नम्बर 36/27 के किला नम्बर 1 में जाने के लिए रास्ता उपयोग में लिया जा रहा है। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखत है कि गोदावरी देवी पत्नी किशनलाल जाति जाट द्वारा गैरकानूनी तरीके से कब्जा किया गया है। उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा किला नम्बर 21 में स्वीकृत रास्ते के अलावा नाजायज बनाये गये रास्ते का उपयोग नही करने व किला नम्बर 21 में लगाए गये अवैध ट्रांसफार्मर को हटाये जाने के आदेश पारित किये गये है उक्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रकट नही होती है। इसलिए अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–06–2022 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 30-01-2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर